

पूर्व मध्य रेल
(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
पाँचवी मंजिल, सी-ब्लॉक, मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स
डाक बंगला रोड, पटना-800001

अधिसूचना सं.-आरआरसी./ईसीआर/एचआरडी/एक्ट-अप्रेन्टिस/2021-22

अधिसूचना

अप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल पर शिक्षता प्रशिक्षण (अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग) हेतु शिक्षुओं का चयन।

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि व समय	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि व समय
06/10/2021 11.00 बजे	05/11/2021 17.00 बजे

शिक्षता प्रशिक्षण हेतु शिक्षुओं के चयन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में स्थित मंडलों/यूनिटों में नामित ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उपलब्ध 2206 स्लॉटों के विरुद्ध अंतिम तिथि को **17.00 बजे तक** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1. अभ्यर्थी नोट करें और इस तथ्य को संज्ञान में लें कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों/यूनिटों के लिए अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत शिक्षुओं के चयन के लिए यह एक केन्द्रीकृत अधिसूचना है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल (आरआरसी/ईसीआर) को अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं उनकी योग्यता सूची तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन केवल आरआरसी के वेबसाइट www.rrcecr.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. योग्यता सूची तैयार करने के पश्चात इसे पूर्व मध्य रेल के संबंधित मंडलो/यूनिटों को सूचित किया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन एवं शिक्षुओं की चिकित्सा परीक्षा, आवेदन में यथा दर्शाए गए विकल्प के अनुसार चयनित मंडलों/यूनिटों में आयोजित की जाएगी।
3. **चयन की विधि:**
 - 3.1 शिक्षता प्रशिक्षण हेतु चयन इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल/यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगा। योग्यता सूची मैट्रिक (न्यूनतम 50% पूर्ण अंको सहित) एवं आई.टी.आई. परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर, दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयार की जाएगी। मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी न कि किसी विषय अथवा विषय समूह के अंकों के आधार पर।
 - 3.2 दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में, अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो मैट्रिक परीक्षा में पहले उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को प्रथम के रूप में विचार किया जाएगा।
 - 3.3 शिक्षता प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन, मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाने पर किया जाएगा।
4. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को विशिष्ट पंजीयन संख्या जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के साथ भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में प्रयोग/पत्र व्यवहार के लिए अपनी पंजीयन संख्या सुरक्षित रखें व नोट कर लें।

नोट: (1) अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से समुचित पहले अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर संभावित भारी भीड़ के कारण होनेवाली असुविधा से बच सकें।

नोट: (2) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त कारण अथवा किसी अन्य कारण से अंतिम दिन में अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये तो, उसके लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जिम्मेवार नहीं होगा।

5. अभ्यर्थियों को केवल एक ही मंडल/यूनिट का विकल्प देना है। मंडलों/यूनिटों तथा स्लॉटों की संख्या (ट्रेडवाइज) का विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

(क) दानापुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	82	54	30	15	20	201
02	वेल्डर	05	02	01	00	00	08
03	मेकैनिक (डीजल)	18	09	05	02	03	37
04	रेफ्रीजिरेशन एवं एसी मेकैनिक	32	20	11	05	07	75
05	फोर्जर एवं हीट ट्रीटर	12	06	03	01	02	24
06	कारपेन्टर	06	02	01	00	00	09
07	इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिक	59	38	21	10	14	142
08	पेन्टर (सामान्य)	05	01	01	00	00	07
09	इलेक्ट्रीशियन	62	39	21	10	14	146
10	वायरमैन	13	07	03	01	02	26
कुल		294	178	97	44	62	675

(ख) धनबाद मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	19	10	06	03	03	41
02	टर्नर	11	06	03	01	02	23
03	मशीनिस्ट	05	01	01	00	00	07
04	कारपेन्टर	03	01	00	00	00	04
05	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	20	11	06	03	04	44
06	मेकैनिक डीजल(फ़ीटर)	08	03	02	01	01	15
07	वायरमैन	11	05	03	01	02	22
कुल		77	37	21	09	12	156

(ग) प्लान्ट डिपो/ पं० दीन दयाल उपाध्याय

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	26	15	08	04	05	58
02	मशीनिस्ट	08	03	01	00	01	13
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	08	03	01	00	01	13
04	इलेक्ट्रीशियन	04	01	00	00	00	05
05	मशीनिस्ट/ ग्राइन्डर	08	03	02	01	01	15
06	टर्नर	08	03	01	00	01	13
07	मेकैनिक (मोटर वाहन)	06	02	01	00	00	09
08	मेकैनिक डीजल	06	02	01	00	00	09
कुल		74	32	15	05	09	135

(घ) समस्तीपुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	08	04	02	01	01	16
02	टर्नर	04	01	00	00	00	05
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	04	01	00	00	00	05
04	इलेक्ट्रीशियन	07	03	01	00	01	12
05	इलेक्ट्रॉनिक्स/मेकैनिकल	07	03	01	00	01	12
06	पेन्टर (सामान्य)	02	00	00	00	00	02
07	कारपेन्टर	02	00	00	00	00	02
08	मेकैनिक (डीजल)	11	05	03	01	02	22
09	प्रयोगशाला सहायक	04	01	00	00	00	05
कुल		49	18	07	02	05	81

(ड) पं० दीन दयाल उपाध्याय मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	198	133	74	37	49	491
02	मशीनिस्ट	03	01	00	00	00	04
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	12	06	03	01	02	24
04	इलेक्ट्रीशियन	19	10	05	02	03	39
05	एम.एम.टी.एम	02	00	00	00	00	02
06	टर्नर	05	01	00	00	00	06
07	वायरमैन	30	18	10	05	06	69
08	मेकैनिक (रेफ्रिजरेशन एवं एसी)	10	05	03	01	01	20
09	इलेक्ट्रीनिक्स मेकैनिक	67	42	23	11	15	158
10	मेकैनिक (डीजल)	35	21	11	05	07	79
कुल		381	237	129	62	83	892

(च) सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना/हरनौत

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	30	20	11	06	07	74
02	मशीनिस्ट	05	03	02	01	01	12
03	वेल्डर	08	04	02	01	01	16
04	इलेक्ट्रीशियन	05	02	01	00	00	08
कुल		48	29	16	08	09	110

(छ) यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	23	15	08	04	05	55
02	मशीनिस्ट	07	02	01	00	01	11
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	15	09	05	03	03	35
04	इलेक्ट्रीशियन	06	02	01	00	00	09
कुल		51	28	15	07	09	110

(ज) सोनपुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा					कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	इडब्लूएस	
01	फिटर	10	05	03	01	02	21
02	ब्लैकस्मिथ	04	01	00	00	00	05
03	वेल्डर	05	01	00	00	00	06
04	कारपेंटर	05	01	00	00	00	06
05	पेंटर	06	02	01	00	00	09
कुल		30	10	04	01	02	47

संकेताक्षर

अना.- अनारक्षित, अपिव- अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जनजाति

नोट:- (1):

- दिव्यांगजनों (श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग/अस्थि दिव्यांग/बहु दिव्यांग (एम.डी) के लिए आरक्षण 4% होगा।
- पूर्व सैनिक/उनके बच्चों एवं सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के लिए 3% की सीमा तक आरक्षण है।
- दिव्यांगजनों एवं पूर्व सैनिकों हेतु स्लॉट पृथक नहीं है, बल्कि यह स्लॉटों की कुल संख्या में शामिल है।

- iv. इडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) उम्मीदवार जो समान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए 10% आरक्षण होगा।
- v. अनुसूचित जाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉटों के विरुद्ध उस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों को अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉटों के विरुद्ध उस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों को अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों से भरा जाएगा। यदि अजा/अजजा अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रशिक्षण स्लॉटों को उपर दिए गए तरीकों से भी भरा नहीं जा सकता, तो इस प्रकार खाली पड़े प्रशिक्षण स्लॉटों को वैसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा जो अजा अथवा अजजा से संबंधित नहीं है, अर्थात् अनारक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय हेतु आरक्षित स्लॉटों के रिक्त सीटों को अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

नोट:—(2): अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने आईटीआई ट्रेडों के सामने उपलब्ध प्रशिक्षण स्लॉटों के विवरण को ध्यान से देख लें तथा उसी अनुसार मंडल/यूनिट का चुनाव करें। यह नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी किसी ऐसे मंडल/यूनिट का विकल्प देता हो जहाँ उसके आईटीआई ट्रेड के लिए प्रशिक्षण स्लॉट उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में, आवेदन अन्ततोगत्वा अर्थहीन हो सकता है, साथ ही, अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी प्रकार का फेरबदल करने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, ऐसी किसी संभावित स्थिति में भी अभ्यर्थियों को बाद में अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है, ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

6. पात्रता की शर्तें:

- 6.1 अभ्यर्थियों की उम्र 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और दिनांक 01.01.2021 को अभ्यर्थियों की उम्र 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 6.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कोटियों के लिए उपरी उम्र सीमा में निम्नवत छूट अनुमेय है:—
 - i. अजा/अजजा समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्षों तक।
 - ii. अपिव समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्षों तक।
 - iii. दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए—अनारक्षित समुदाय के लिए 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 13 वर्ष एवं अजा/अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्षों तक।
 - iv. पूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूट कुल सैन्य सेवा अवधि के साथ 3 वर्षों तक होगी बशर्ते कि कम से कम छः माह की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।
- 6.3 अजा/अजजा के आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए केन्द्र सरकार के फार्मेट पर (अनुलग्नक-I के अनुसार) अपने प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, अपिव के आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के फार्मेट (अनुलग्नक-II के अनुसार) पर दिनांक 01.04.2021 को या उसके पश्चात् जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र एवं गैर क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.4 इडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण: वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित, जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग— एनसीएल आरक्षण योजना के अर्न्तगत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रु० 8 लाख (आठ लाख रुपये) से कम है, उनकी पहचान इडब्ल्यूएस के रूप में की जाए, ताकि उन्हें इडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल सके। आय में आवेदन किये गये वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान इडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जायेगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनका पारिवारिक आय कुछ भी हो।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। इडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल अनुलग्नक III में दिये गये निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जायेगा।

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा

घ) उस क्षेत्र के उप विभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।(अनुलग्नक-III)

6.5 पूर्व सैनिकों अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना होगा। पूर्व सैनिकों अथवा सशस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के मामले में उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता-पिता (यथास्थिति) का "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र" अथवा "सशस्त्र बल सेवा प्रमाण-पत्र" (जो भी लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।

7. पूर्व सैनिक :

पूर्व सैनिक कोटे हेतु लागू आरक्षण के अंतर्गत चयनित किसी पूर्व सैनिक अभ्यर्थी को संबंधित समुदाय यथा- अना/अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस (जिससे वह संबंधित है) में रखा जाएगा। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों एवं सशस्त्र बल कार्मिक के बच्चों को नीचे वर्णित प्राथमिकता विवरण के अनुसार शिक्षता प्रशिक्षण के लिए चयन किया जाएगा :

(अ.) मृत/निःशक्त पूर्व सैनिकों, के बच्चे (इसमें वे पूर्व सैनिक भी शामिल हैं जो शांतिकाल के दौरान मारे गए/निःशक्त हुए हो।)

(आ.) पूर्व सैनिकों के बच्चे।

(इ.) सेवारत जवानों के बच्चे।

(ई.) सेवारत अधिकारियों के बच्चे।

(उ.) पूर्व सैनिक

8. शैक्षणिक अर्हता :

अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक/10वीं श्रेणी अथवा इसके समतुल्य परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत) उत्तीर्ण होना चाहिए एवं संगत ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए (अर्थात "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद्" द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में "राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र" अथवा "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद्"/"व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राज्य परिषद्" द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण-पत्र)

9. शुल्क का भुगतान :

9.1 आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)—₹100/-

9.2 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा:-

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूमरे के वेबसाइट www.rcecr.gov.in पर हर प्रकार से एक बार ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने पर, अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे पर जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। एक बार भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया हो, तो अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ/पूमरे के वेबसाइट पर पुनः वापस जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने एवं भरे हुए आवेदन को डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने भुगतान करने का प्रयास किया हो और उसे इन्टरनेट कनेक्शन की विफलता जैसी समस्या आती हो, जिसके कारण उनके खाते/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से आवेदन शुल्क की रकम की कटौती कर ली गई हो, किन्तु फिर भी आवेदन डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो, कृपया पेमेंट गेटवे से उसे फिर से पुष्टि करने के लिए "वेरीफाई पेमेंट" बटन पर क्लिक करें।

9.3 अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में सभी विवरण सही-सही दर्ज हो चुके हैं, के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को पेमेंट गेटवे (ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत) के माध्यम से शुल्क का भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति है। उसके पश्चात् आवेदन के विवरणों में कोई फेरबदल/सम्पादन की अनुमति नहीं होगी।

9.4 डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग इत्यादि द्वारा स्क्रीन पर माँगी गई सूचनाएं दर्ज कर भुगतान की प्रक्रिया की जा सकती है। ऑनलाइन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन प्रभार हो तो उसका भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना होगा।

- 9.5 भुगतान हेतु लेन-देन के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात् ई-रसीद (अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराये गये तिथि सहित) जनित होगा जिसे प्रिंट कर अभ्यर्थी द्वारा रख लिया जाएगा।
- 9.6 यदि ऑनलाइन भुगतान लेन-देन सफलतापूर्वक नहीं हो सका हो, तो पुनः लॉग-इन कर ऑनलाइन भुगतान करें।
- 9.7 अजा/अजजा/दिव्यांगजनों/महिला अभ्यर्थियों द्वारा किसी शुल्क के भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

10. **दिव्यांगजनों का स्वस्थता मानक :**

निःशक्त व्यक्तियों की परिभाषाएं :-

- (क) **दृष्टिहीनता:** दृष्टिहीनता/अंधता का अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित से पीड़ित हो जैसे : (i) पूर्ण दृष्टि का न होना अथवा (ii) करेक्टिंग लेंसों सहित नेत्र में 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से दृष्टि न्यूनता से अधिक न हो अथवा (iii) 20 डिग्री अथवा उससे कम कोण से दृष्टि सीमा का अंतरण।
- (ख) **कम दृष्टि :** कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय है – उपचार अथवा मानक रिफ्रेक्टिव सुधार के पश्चात भी दृष्टि में क्षीणता का होना किन्तु जो उपयुक्त सहायक यंत्र के साथ किसी कार्य की योजना बनाने अथवा उसका निष्पादन करने के लिए दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उस दृष्टि का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।
- (ग) **श्रवण क्षीणता :** श्रवण क्षीणता से अभिप्राय है, संवाद रेंज में 60 डेसिबल या अधिक नुकसान होना।
- (घ) (i) **लोकोमोटर दिव्यांगता :** लोकोमोटर निःशक्तता से अभिप्राय है – हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्तता जिससे अंगों के संचालन में काफी अवरोध होता है अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कोई रूप।
- (ii) **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात :** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से अभिप्राय ब्रेन इनसल्ट होने से, अवर्नॉर्मल मोटर कंट्रोल पोस्चर अथवा प्रसव-पूर्व या शिशु-विकास की अवधि में होने वाली चोटों से किसी व्यक्ति के विकास न होने की स्थितियों का एक समूह का बनना।
- (iii) **अस्थि दिव्यांगता के सभी मामले लोकोमोटर दिव्यांगता/निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत आएंगे।**
- (iv) **बहु दिव्यांगता:** वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो दो या दो से अधिक प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित हों, वे बहु दिव्यांग माने जायेंगे।
- (v) **अन्य कोई, जो केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है।**
- (ङ) **आरक्षण के लिए दिव्यांगता/निःशक्तता की सीमा-** आरक्षण के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जो संगत दिव्यांगता/निःशक्तता के 40% अथवा उससे कमतर पीड़ित न हों। आरक्षण का लाभ पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को **अनुलग्नक-IV** में दिए गए फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (च) **सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाना :** दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे जिसमें से कम से कम एक (यथास्थिति) लोकोमोटर/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/दृष्टि/श्रवण दिव्यांगता का निर्धारण करने के लिए उस विशेष क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होगा।

11. **आवेदन कैसे करें :**

- 11.1 अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.rrcecr.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- 11.2 अभ्यर्थी वेबसाइट www.rrcecr.gov.in पर लॉग-इन कर ऑनलाइन आवेदन और अपने वैयक्तिक विवरण/बायोडाटा सावधानीपूर्वक भरें।

नोट-1: अभ्यर्थी अपने पास आधार कार्ड रखें। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय 12 अंकों का आधार नं० भरें। आधार नं० नहीं रहने पर अभ्यर्थी आधार कार्ड का दाखिला करने के पश्चात् दाखिला पर्ची पर अंकित 28 अंक को भरें। जम्मू और काश्मीर, मेघालय और आसाम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के अभ्यर्थी ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं। इन राज्यों के आवेदक ऑन-लाईन आवेदन में अपना चुनाव पहचान पत्र का नं०, वैद्य पासपोर्ट नं०, झाइविंग लाईसेंस नं० या कोई वैद्य पहचान पत्र जो सरकार द्वारा ऑन-लाईन आवेदन के समय निर्गत किया गया हो। **अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय मूल आधार कार्ड या उपरोक्त उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत करना है।**

नोट-2: अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक (दसवीं) एवं आईटीआई इत्यादि में अंकों की प्रतिशतता आदि उनके मैट्रिक/आईटीआई प्रमाण पत्र में दर्ज विवरणों के अनुसार सही-सही मेल खाती है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी अंतर/परिवर्तन की स्थिति में उनकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

नोट-3: अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा वैद्य ई-मेल आईडी दर्ज करें और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ/संदेश ई-मेल/एसएमएस के द्वारा भेजे जाएंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा पढ़ा गया है, माना जाएगा।

11.3 विभिन्न विवरणों जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो/शैक्षणिक और/अथवा तकनीकी अर्हता, ई-मेल आईडी/मोबाईल नं. आदि में बदलाव कर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत/प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।

11.4 अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट रखना है। योग्य पाए जाने पर उन्हें दस्तावेज-सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

12. स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी:

अभ्यर्थियों को बिना टोपी और बिना धूप के चश्मे के, अपना रंगीन फोटोग्राफ (साईज 3.5 सेमी x 3.5 सेमी, आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो, जेपीजी/जेपीइजी फॉरमेट में, 100 डीपीआई क्वालिटी, फाइल साईज 20 किलोबाइट से 70 किलोबाइट के बीच) अपलोड करना है। फोटो में अभ्यर्थी का चित्र सामने से स्पष्ट दृष्टिगत होने चाहिए। अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि अस्पष्ट/पुराने फोटो अपलोड करने अथवा अपलोड किए गए फोटो और की वास्तविक रूप-रंग (आकृति) में अंतर होने पर, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, किसी भी स्तर पर उनके आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द कर सकती है। अभ्यर्थियों को उसी फोटोग्राफ की दो अतिरिक्त प्रतियां सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, जिसकी दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ लाने की आवश्यकता होगी।

13. स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपी:

अभ्यर्थियों को अपना स्कैनड हस्ताक्षर (साईज 3.5 सेमी x 1.5 सेमी, जेपीजी/जेपीइजी फॉरमेट में, 100 डीपीआई क्वालिटी, फाइल साईज 10 किलोबाइट से 30 किलोबाइट के बीच) अपलोड करना है। हस्ताक्षर चलंत लिखावट (running handwriting) में अवश्य हो, और बड़े अक्षरों में, अथवा असंबद्ध अक्षरों में न हो।

14. दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा:-

14.1 माध्यमिक स्कूल (10वीं स्तर) अथवा इसके समतुल्य अंक पत्र।

14.2 जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (10वीं स्तर अथवा इसके समतुल्य अंक पत्रक अथवा विद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)।

14.3 आवेदित ट्रेड के सभी सेमेस्टर (सत्रक) का समेकित अंक पत्रक/राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (अंतिम/Provisional भी स्वीकार्य हैं) जिसमें अंक निर्दिष्ट हो।

14.4 "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद" (NCVT) द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र (National Trade Certificate) अथवा "व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद" (NCVT)/"व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राज्य परिषद" (SCVT) द्वारा जारी अंतिम राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र।

14.5 अजा/अजजा/अविप अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र अनुलग्नक I & II जहाँ लागू हो। इडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अनुलग्नक III, जहाँ लागू हो।

14.6 दिव्यांग अभ्यर्थी के मामले में दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण-पत्र अनुलग्नक IV.

- 14.7 पूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए "कार्यमुक्त प्रमाण-पत्र"/"सेवा प्रमाण-पत्र"। दस्तावेज सत्यापन के दिन उपर्युक्त के अनुसार मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बिना उन्हें दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। अंग्रेजी अथवा हिन्दी से इतर भाषाओं में जारी प्रमाण पत्र होने की स्थिति में उन प्रमाण पत्रों के साथ-साथ उनका अंग्रेजी/हिन्दी में अभिप्रमाणित अनुवाद लगा होना चाहिए।
15. **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:**
सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाईन आवेदन रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 05/11/2021 को 17.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी/प्रिंटेड कॉपी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनके प्राप्त हो जाने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
16. **प्रशिक्षण अवधि एवं वृत्तिका :**
- 16.1 केन्द्रीय शिक्षता परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों एवं पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान अनुदेशों के अनुसार लागू दर से शिक्षता के दौरान वृत्तिका दी जाएगी। दरों में परिवर्तन, समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों तथा निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।
- 16.2 कोई छात्रावास उपलब्ध नहीं कराई जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी (अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार)। प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा।
17. **प्रशिक्षण के लिए करार :**
- 17.1 नामित ट्रेड में शिक्षता प्रशिक्षण के आरंभ होने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को सुसंगत लागू प्रावधानों के अन्तर्गत शिक्षता प्रशिक्षण करार करना होगा।
- 17.2 शिक्षता नियमावली, 1992 के प्रावधानों के अनुसार, यदि शिक्षता करार में अधिसूचित नियमों एवं शर्तों के निष्पादन में नियोक्ता की ओर से विफलता होने पर करार समाप्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी को यथा निर्धारित शिक्षु प्रतिकर (Apprentice Compensation) का भुगतान किया जाएगा।
- 17.3 शिक्षता प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजन प्रदान करना नियोक्ता के लिए बाध्यकर नहीं होगा और साथ ही प्रशिक्षु भी नियोक्ता के अधीन नियोजन स्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं होंगे।
- 17.4 यदि चयनित अभ्यर्थी अवयस्क हैं, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ शिक्षता करार करना होगा।
18. **चिकित्सीय स्वस्थता:**
- 18.1 अप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं अप्रेन्टिस नियमावली 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह उपर्युक्त एक्ट के अनुसार एवं संगत ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित रेलवे चिकित्सा मानकों में न्यूनतम शारीरिक उपयुक्तता मानकों को पूरा करता है जिसे रेलवे चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- 18.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाये गये चयनित उम्मीदवारों को दिये गये प्रोफार्मा में चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अधिकृत सरकारी डॉक्टर (राजपत्रित) द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए जो केन्द्रीय/राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।(अनुलग्नक-V के अनुसार)
- 18.3 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक स्वस्थता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सा जाँच शुल्क के लिए ₹24/- की धनराशि का भुगतान करना होगा।
19. **हेल्प डेस्क:**
ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने अथवा आवेदन का प्रिंट आउट लेने में किसी भी समस्या के लिए पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक फोन सं. 0612-2200035 पर कॉल किया जा सकता है। (शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर)

20. महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

- 20.1 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं चयन विधि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
- 20.2 रेलवे में प्रशिक्षण देने मात्र से, प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का रेलवे में उनके आमेलन किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। श्रम मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा दि. 15.07.1992 को अधिसूचित अप्रेंटिस नियमावली 1992 के अनुसूची-V के पैरा 10 के अनुसार, शिक्षुता प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजन प्रदान करना नियोक्ता के लिए बाध्यकर नहीं होगा और साथ ही प्रशिक्षु भी नियोक्ता के अधीन नियोजन स्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं होंगे।
- 20.3 शिक्षुओं के चयन संबंधी किसी भी पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.4 किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और इन मामलों में किसी भी पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.5 आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि भूलवश चयन हो भी जाती है, तो किसी भी चरण में, बिना सूचना दिए ऐसे अभ्यर्थियों को सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- 20.6 यदि अभ्यर्थी सत्यापन हेतु अपेक्षित मूल प्रमाण/अंक पत्रों को प्रस्तुत करने में विफल होता है अथवा उनमें कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी।
- 20.7 यदि रेलवे प्रशासन द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने गलत/जाली/मिथ्या सूचना/प्रमाण-पत्र दिया है तो प्रशिक्षण के लिए चयन के पश्चात् भी, बिना सूचना के, किसी भी चरण में अभ्यर्थी अथवा चयनित अभ्यर्थी को बर्खास्त करने का अधिकार रेलवे प्रशासन के पास सुरक्षित है।
- 20.8 चयनित न होने अथवा चयन हेतु नहीं बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को जवाब भेजने की रेलवे प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध न तो कोई पत्र-व्यवहार स्वीकार किया जाएगा और न ही इस कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन को इस संबंध में जवाब दिया जाएगा।
- 20.9 मुद्रण संबंधी किसी त्रुटि के लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा।
- 20.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के कोई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 20.11 अभ्यर्थियों को डाक द्वारा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को आवेदन के प्रिंट आउट, प्रमाण-पत्रों अथवा उनकी प्रतियों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार केवल ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर किया जाएगा।
- 20.12 चयन के पश्चात् मंडल/यूनिट में परिवर्तन करने के संबंध में अभ्यर्थी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.13 किसी भी विवाद की स्थिति में रोजगार सूचना के अंग्रेजी रूपान्तर को वैध माना जाएगा।
- 20.14 किसी भी कानूनी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना होगा।
- 20.15 अभ्यर्थियों को आरआरसी/पटना के आधिकारिक वेबसाइट के सूचना पट को हमेशा नवीनतम जानकारी हेतु देखते रहना चाहिए।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पूर्व मध्य रेल